(च) उपर्युक्त भाग (ङ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

Unauthorised Construction in Govenrment Coonies

3459. SHRI S. S. AHLUWALIA: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that notices have been issued to the allottees in Government colonies in New Delhi for the removal of unauthorised construction along their houses;

(b) if so, what are the details thereof and the number of such notices issued so far;

(c) what are the reasons for issuing of such notices to the allottees; and

(d) what action Government propose to take for non-compliance of the notices by the allottees?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINSTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON): (a) Yes Sir.

(b) Notices have been issued to 137 allottees in R. K. Puram, Kaka Nagar, Pandara Road, Nauroji Nagar areas to remove unuthorised construction within a stipulated time.

(c) Such construction is treated as breach of allotment rules.

(d) If the allottees fail to remove unauthorised construction within a stipulated time their allotments are liable to be cancelled and eviction proceedings initiated.

दिल्ली विकास प्राधिकरण के आवासीय नियमों का उल्लघंन

3460. **श्री राम सिंह राठवा :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ लोगों को दिल्ली विकास प्राधिकरण के आवासीय नियमों का उल्लंघन करनें के आरोप में सजा दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में गत तीन वर्ष का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार नें आवासीय नियमों का समुचित पालन सुनिश्चित करने के लिए क्या व्यवस्था की है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी०के० थुंगन) : (क) और (ख) जी, हां। दिल्ली विकास प्राधिकरण नें सूचित किया है कि गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के और आवंटन पट्टाविलेख की शर्तों और निबन्धनों के अंतर्गत निम्नलिखित कार्रवाई की गई है :–

	1990–91	91–92	92–93
1 कारण बताओ नोटिस जारी किये गये	1157	1217	1806
2 अन्ततः कारण बताओं नोटिस जारी किये गये	111	473	678
3 मुकदमा की कार्रवाई	5	19	—
4 गिराने की कार्रवाई	—	—	24
5 पुलिस प्राथमिकी दर्ज कराई गई	—	—	1

उपर्युक्त के अतिरिक्त इस दौरान 28 मामलों में फ्लैटों के आवंटन रद्द किए गए ।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण के आवास विभाग में पहले से ही विद्यमान एक स्वतंत्र प्रवर्तन शाखा को आवंटन नियमों के उल्लंघन की जांच अधिक प्रभावी रूप से करने के लिए हिदायत दी गई है ।

मोती बाग–2 में अवैध कब्जे

3461. **श्री गया सिंह :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सत्य निकेतन, मोती बाग–2 नई दिल्ली के बस सटैंड के निकट रिंग रोड की पटरी पर कुछ व्यक्तियों ने व्यावसायिक प्रयोजनार्थ अवैध कब्जे कर लिए हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि नई दिल्ली नगर पालिका के प्रवर्तन विभाग का दस्ता इस मार्ग से लगभग प्रतिदिन ही गुजरता है ;

(ग) क्या रिंग रोड की पटरी नई दिल्ली नगर पालिका के अतिरिक्त केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकार क्षेत्र में भी आती है :

(घ) यदि हां, तो उक्त अतिक्रमणों को हटाने का अधिकार किस प्राधिकरण के पास है; और

(ङ) सरकार इन अतिक्रमणों को हटाने के लिए क्या कदम उठा रही है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

Harassment to Group Housing Societies

3462. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Delhi Development Authority has issued a note for Rs. 2,84,000 as 'pre-occupancy' charges to Samachar Cooperative Group Housing Society, Mayur Vihar, Phase—I Ext., Delhi;

(b) whether it is also a fact that DDA had authorised the Society on 18th October, 1989 to occupy the fiat* only after obtaintning the requisite 'D' form,

(e) whether the said Society has made a representation against the demand note, if so. the action taken by Government and the DDA on the withdrawal of the demand note: and

(d) whether Government propose to take action and fix responsibility for lapses, resulting in motivated harassment to Group Housing Societies?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON); (a) Yes, Sir.

(b Yes, Sir.

(c) Yes, Sir. As reported by the DDA the society had made a represent ation and live companding charges for pre-occupancy have been waived.

(d) As reported by DDA since there is no harassment to Group Housing Socie ties, the question of taking action and fixing any responsibility does not arise.

Unauthorised construction in Ashok Vihar

3463. SHRI O. RAIAGOPAL.- Will the Minister of URBAM DEVELOPMENT be pleased to refer to the answer to Unstarred Question No. 2453 given in the Rajya Sabn.x on 13-12-91 and state